रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4190] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 25, 2018/कार्तिक 3, 1940
No. 4190] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2018/KARTIKA 3, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5395(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 1 सितंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2148 (अ) के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, शिलांग को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अधिसूचित अपराधों के विचारण के लिए पूरे मेघालय राज्य में क्षेत्राधिकार वाले विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि, श्रीमती बी. गिरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिलांग जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1946 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1946 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, मेघालय उच्च न्यायालय, शिलांग के माननीय मुख्य न्यायामूर्ति की

सिफारिश पर श्री नूर अयीन खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, शिलांग को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु एतद्वारा, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV(भाग- I)(खंड -2)]

प्रवीण वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2018

S.O. 5395(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2148 (E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of District and Sessions Judge, Shillong, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Meghalaya for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Smt. B. Giri, District and Sessions Judge, Shillong, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 1946 (E) dated the 22nd August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 1946 (E), dated the 22nd August, 2012, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Meghalaya, Shillong, hereby appoints Shri Noor Ain Khan, District & Session Judge, East Khasi Hills District, Shillong, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-I)(Vol.-2)]

PRAVEEN VASHISTA , Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.10.11 13:40:34 +05'30'